Foreign Investment in the High Priority Industries

439. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM:
SHRI M. A. BABY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to permit investments upto 100 per cent Foreign equity in 34 high priority industries by non-resident Indians and overseas corporate bodies;

(b) if so, what are the details of the order issued in this connection; and

(c) what is the objective of this new foreign investment policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Yes Sir. Government announced the new NRI investment policy on 28th October, 1991. The main features of this policy are as follows:

(i) Reserve Bank of India will give automatic approval to NRIs and Overseas Corporate Bodies (OCBs) for investment upto 100 per cent equity in 34 high priority industries, eligible for foreign investment with full benefits of repatriation.

(ii) NBIs and OCBs can also invest upto 100 per cent equity with full repatriation benefits in industries requiring compulsory licensing and the industries reserved for small scale sector as well as in other industries excepting those reserved for the public sector.

(iii) The new policy with regard to the foreign technology agreements and licensing will also apply in case of NRIs investment also.

(c) The objective is to attract more and more NRI investment in foreign exchange, into Indian industries in order to obtain higher technology, to increase exports and to expand production base.

भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋणों का ब्यौरा

440. श्री राम जेठमलानी :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1991 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में "आई. एम. एफ. क्लीयर्स 2.262 बिलियन स्टैंड बाई क्रेडिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अब तक कुल कितना ऋण लिया गया है ;

(ग) इस ऋण के संबंध में कितनी-कितनी राशि की किश्त कब-कब ली गयी ;

(घ) इस ऋण के कुल धन पर देश को प्रत्येक वर्ष कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ता है ; और

(ङ) इस ऋण का पूरा भगतान अनिवार्य रूप से कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड ने 31.10.1991 को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत 16560 लाख एस. डी. आर. की राशि अनुमोदित की थी । इसमें से 15.11.91 को 850 लाख एस. डी. आर. की राशि आहरित की गई थी ।

(घ) इस ऋण पर प्रतिवर्ष अदा किए जाने वाले प्रभार और ब्याज की राशि निम्नानुसार है :—

	मिलियन एस. डी. आर.
1992 . .	32.2
1993 . .	108.8
1994 . .	136.6
1995 . .	135.2
1996 . .	113.8
1997 . .	74.7
1998 . .	42.8
1999 . .	18.9
2000 . .	3.6
	666.6

(ङ) सन 2000 तक ऋण की समस्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ।

भारतीय मुद्रा का मूल्य

441. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मुद्रा का मूल्य लगातार घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1970-71 के मूल्यों पर 1980-81 में और 1990-91 के अन्त में रुपये का मूल्य क्या आंका गया था ; और

(ग) विश्व की विभिन्न प्रमुख मुद्राओं के मूल्य की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 1970-71, 1980-81 और 1990-91 के दौरान रुपयों का मूल्य क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय रुपए का मूल्य (वर्ष 1970-71 को आधार मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम में मापित) मार्च, 1981 में 44 पैसे और मार्च, 1991 में 19 पैसे था । वर्ष 1970-71, 1980-81 और 1990-91 के दौरान विश्व की प्रमुख करेंसियों की तुलना में भारतीय करेंसी का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए अनुसार था :--

रुपए विदेशी मुद्रा प्रति इकाई के अनुसार

वार्षिक औसत

करेंसी	1970-71	1980-81	1990-91
अमरीकी डालर	7.500	7.908	17.943
पोण्ड स्टर्लिंग	18.000	18.500	33.193
ड्यस मार्क	2.049	4.190	11.435
येन	0.021	0.037	0.128
फ्रांसिसि फ्रांक	1.350	1.800	3.387